अपीलवाद सं0–01/2016
कृषि विभाग, बिहार, पटना

विषयः– मे0 जय अम्बे डेयरी फेड, वैशाली बनाम कृषि निदेशक, बिहार, पटना

तिथि	अपीलीय प्राधिकार का आदेश एवं हस्ताक्षर
22.06.2016	मे0 जय अम्बे डेयरी फेड, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, अनिल कुमार सिंह, ग्राम–पटेढ़ा, पो0–अख्तियारपुर पटेढ़ा, जिला–वैशाली के द्वारा वर्मी कम्पोस्ट विनिर्माण अनुज्ञप्ति सं0–243, दिनांक–17.10.2012 एवं विपणन अनुज्ञप्ति सं0–56, दिनांक–25.03.2013 वैद्यता तिथि–16.10.2015 के नवीकरण करने हेतु अपीलीय प्राधिकार सचिव, कृषि के समक्ष अपील किया गया है। कृषि निदेशक के पत्रांक–6001, दिनांक–21.12.2015 के द्वारा प्रतिष्ठान का विनिर्माण एवं विपणन प्राधिकार पत्र रद्दीकरण घोषित किया गया है। मे0 जय अम्बे डेयरी फेड, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, अनिल कुमार सिंह, वैशाली के द्वारा यह सूचित किया गया कि वर्मी कम्पोस्ट विनिर्माण एवं विपणन प्राधिकार पत्र के नवीकरण हेतु दिनांक–14.11.2015 को विलंब शुल्क के साथ चालान जमा किया गया तथा दिनांक–15.12.2015 को चालान की प्रति एवं आवश्यक कागजात के साथ कृषि निदेशालय, बिहार को आवेदन समर्पित किया गया। आवेदक द्वारा यह बताया गया कि अधिक व्यस्तता के कारण नवीकरण हेतु आवेदन विलंब से समर्पित किया गया। 1. विनिर्माण एवं विपणन प्राधिकार पत्र की वैद्यता तिथि– 16.10.2015 2. विनिर्माण हेतु विलंब राशि (100) एवं नवीनिकरण राशि (1000) के साथ चालान जमा करने की तिथिः– 14.11.2015 3. विपणन हेतु विलंब राशि (150) एवं नवीनिकरण राशि (2250) के साथ चालान जमा करने की तिथिः– 14.11.2015 4. विनिर्माण एवं विपणन प्राधिकार पत्र के नवीकरण हेतु आवेदन देने की तिथिः– 15.12.2015 कृषि निदेशक के प्रस्तोता पदाधिकारी, श्री अशोक प्रसाद, संयुक्त निदेशक (रसायन) कम्पोस्ट एवं बायोगैस, बिहार, पटना–सह–वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जैविक प्रोत्साहन कोषांग के अनुसारः– 1. कृषि निदेशक के द्वारा मे0 जय अम्बे डेयरी फेड, वैशाली को निर्गत विनिर्माण प्राधिकार पत्र सं0:– 243/17.10.2012 एवं वैद्यता तिथि–16.10.2015 2. कृषि निदेशक के द्वारा मे0 जय अम्बे डेयरी फेड, वैशाली को निर्गत विपणन प्राधिकार पत्र सं0:– 56/25.03.2013 एवं वैद्यता तिथि–16.10.2015 3. उर्वरक नियंत्रण आदेश–1985 के खण्ड के 11 (3) (4) के आलोक में विलंब शुल्क के साथ चालान जमा करने की तिथिः– 14.11.2015 4. कृषि निदेशालय, बिहार, पटना में नवीकरण हेतु समर्पित आवेदन की तिथिः– 15.12.2015 5. कृषि निदेशक के द्वारा घोषित रद्दीकरण की तिथिः– पत्रांक–6001, दि0–21.12.15 कृषि निदेशक के प्रस्तोता पदाधिकारी, श्री अशोक प्रसाद, संयुक्त निदेशक (रसायन) कम्पोस्ट एवं बायोगैस, बिहार, पटना–सह–वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जैविक प्रोत्साहन कोषांग के द्वारा यह सूचित किया गया किः– मे0 जय अम्बे डेयरी फेड, वैशाली के द्वारा वर्मी कम्पोस्ट विनिर्माण एवं विपणन प्राधिकार पत्र के नवीकरण हेतु आवेदन कृषि निदेशालय, बिहार, पटना को दिनांक–15.12.2015 को प्राप्त हुआ। प्रतिष्ठान के द्वारा नवीकरण हेतु आवेदन वैद्यता तिथि (16.10.2015) के दो महिनें के पश्चात् समर्पित किया गया है। उर्वरक नियंत्रण आदेश–1985 के खंड–11 (3) के अनुसार कोई भी प्रतिष्ठान वैद्यता तिथि समाप्ति के एक महीने के अंदर विलंब शुल्क के साथ आवेदन समर्पित करती है तो उसके आवेदन के अनुसार किया जायेगा एवं 11 (5) के अनुसार कोई भी प्रतिष्ठान वैद्यता तिथि के एक महीने तक आवेदन समर्पित नहीं करता है तो उर्वरक नियंत्रण आदेश–1985 के तहत् स्वतः Expired समझा जायेगा। प्रतिष्ठान के द्वारा चालान वैद्यता तिथि (16.10.2015) के अंदर जमा नहीं किया गया है एवं वैद्यता तिथि के एक महीने के अंदर दिनांक–14.11.2015 को विलंब शुल्क के साथ चालान जमा किया गया है। परन्तु नवीकरण हेतु आवेदन दिनांक–15.12.2015 को कृषि निदेशालय, बिहार, पटना में समर्पित किया गया है।

	प्रतिष्ठान द्वारा वैधता तिथि (16.10.2015) के दो महिने पर दिनांक–15.12.2015 को आवेदन समर्पित किये जाने के कारण उर्वरक नियंत्रण आदेश–1985 के खंड 11 (3) एवं 11 (5) के आलोक में कृषि निदेशक के द्वारा विनिर्माण अनुज्ञप्ति सं0–243, दिनांक–17.10.2012 एवं विपणन अनुज्ञप्ति सं0–56, दिनांक–25.03.2013 वैद्यता तिथि–16.10.2015 को रद्दीकरण घोषित किया गया है। उभय पक्षों को सुना गया। **आदेश–** प्रथम पक्ष के द्वारा बताया गया कि उनकी विनिर्माण एवं विपणन अनुज्ञप्ति दिनांक–16.10.2015 को समाप्त हो गई है। अपीलार्थी के द्वारा बताया गया कि वैद्यता तिथि समाप्ति के एक माह के अंदर विलंब शुल्क के साथ चालान जमा कर दिया गया है। परन्तु अधिक व्यस्तता के कारण आवेदन समर्पित नहीं किया जा सका। चूँकि आवेदक द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश–1985 के खण्ड 11 (3) के अनुसार वैद्यता तिथि समाप्ति के एक महीने के अंदर विलंब शुल्क के साथ चालान जमा कर दिया गया था, इस परिस्थिति में आवेदक सहानुभूति के पात्र हैं। अतः उक्त के आलोक में मे0 जय अम्बे डेयरी फेड, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, अनिल कुमार सिंह, ग्राम–पटेढ़ा, पो0–अख्तियारपुर पटेढ़ा, जिला–वैशाली के वर्मी कम्पोस्ट विनिर्माण एवं विपणन अनुज्ञप्ति को विहित प्रक्रियानुसार नवीकृत करने का आदेश दिया जाता है। इसके साथ ही वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। (नर्मदेश्वर लाल) सचिव, कृषि, बिहार, पटना

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 2975 /कृ0, पटना, दिनांक 13-7-,2016

प्रतिलिपिः– मे0 जय अम्बे डेयरी फेड, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, अनिल कुमार सिंह, ग्राम–पटेढ़ा, पो0–अख्तियारपुर पटेढ़ा, जिला–वैशाली को सूचनार्थ प्रेषित।

13-7-16

(अशोक प्रसाद)
वरीय प्रभारी पदाधिकारी,
जैविक प्रोत्साहन कोषांग,
कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 2975 /कृ0, पटना, दिनांक 13-7-,2016

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13-7-16

(अशोक प्रसाद)
वरीय प्रभारी पदाधिकारी,
जैविक प्रोत्साहन कोषांग,
कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 2975 /कृ0, पटना, दिनांक 13-7-,2016

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13-7-16

(अशोक प्रसाद)
वरीय प्रभारी पदाधिकारी,
जैविक प्रोत्साहन कोषांग,
कृषि निदेशालय, बिहार, पटना